उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 <u>संख्या क0नि0–5–5462 / 11–2000–312 (381)–99</u> <u>लखनऊ, दिनांक 18 अक्टूबर, 2000</u> अधिसूचना आदेश

प0आ0-1311

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय—समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शिक्त का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से छः मास के लिए राज्य सरकार के आवास विभाग द्वारा कार्यान्वित—

- (क) आश्रय योजना या सबके लिए आवास योजना के अधीन किसी विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निष्पादित किये जाने वाले विक्रय के लिखतों पर 100 रु० (एक सौ रुपये) से अधिक के, और
- (ख) दुर्बल वर्ग आवासीय योजना के अधीन किसी विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निष्पादित किये जाने वाले विक्रय के लिखतों पर 500 रु० (पांच सौ रुपये) से अधिक के,

स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से, ह0अस्पष्ट टी0 जार्ज जोसेफ, प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no. K.N. 5-5462/XI-2000-312 (381)-99, dated October 18, 2000 for general information :

No. K.N. 5-5462/XI-2000-312 (381) 99

<u>Lucknow, Dated October 18, 2000</u>

<u>Notification</u>

Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit for six months with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty,-

- (a) exceeding Rs. 100 (Rupees one hundred) on instruments of sale executed by a Development Authority or the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad under Ashraya Yojna or Sabke Liya Avas Yojna, and
- (b) exceeding Rs. 500 (Rupees five hundred) on instruments of sale executed by a Development Authority or the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad under Durbal Varg Awasiya Yojna,

implemented by Housing Department of the State Government.

By order, Sd/- Illegible T. GEORGE JOSEPH, Pramukh Sachiv.